न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 01/2023 तारीख रजू:— 01.02.2023

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर
R.A.S.

1.	चन्द्रप्रकाश पुत्र रामखिलाडी	जाति ब्राह्मम्ण निवासी नंगला बृजलाल,
2.	रामखिलाडी पुत्र द्वारका प्रसाद	तहसील बयाना, हालनिवासी केसर कोलोनी
3.	सतीशचंद पुत्र रामखिलाडी	हिण्डौन जिला करौली ———————— प्रार्थीगण

बनाम

1.	कैलाशचन्द उर्फ कैलाशी पुत्र फाँदी	जाति जाट निवासी क्यारदा खुर्द
2.	धीरू पुत्र लच्छो	तहसील हिण्डौन, जिला करौली।

3. श्रीमान तहसीलदार, तहसील हिण्डौन (लैण्ड होल्डर) ———————— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट

उपस्थित :—1. रामखिलाडी सैनी एडवोकेट प्रार्थीगण
2. अशोक नीमनका एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय

दिंनाक :— 24.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण/सायलान के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1181 रकवा 13 ऐयर, 1182 रकवा 13 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 26 ऐयर बांके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन, जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजीयात के सायलान रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण/गैरसायलान का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात के खसरा नम्बर 1181 रकवा 13 ऐयर में से 3 ऐयर भूमि आबादी व वाणिज्यिक में संपरिवर्तित होकर नगर परिषद के नाम दर्ज है, जिसके कुनवा खसरा नम्बर 1455/1181 रकवा 10 ऐयर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, 1456/1181 रकवा 03 ऐयर जिसकी खातेदारी नगर पालिका हिण्डौन के नाम दर्ज है ठीक उसी प्रकार खसरा नम्बर 1182 रकवा 13 ऐयर में से खसरा नम्बर 1458/1182 रकवा 05 ऐयर जो नगरपालिका के नाम तथा खसरा नम्बर 1457/1182 रकवा 08 ऐयर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इस प्रकार से खसरा नम्बर 1455/1181 रकवा 10 ऐयर, 1457/1182 रकवा 08 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.18 है० के प्रार्थीगण/सायलान रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1457/1182 रकवा 08 ऐयर, 1455/1181 रकवा 10 ऐयर की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम है और उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जाकाश्त है अप्रार्थीगण व अन्य का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डौन गैरसायल नं0 4 के आदेश क्रमांक 1 एलआर/2022/6689 दिनांक 23.02.2022 की पालना हल्का पटवारी एवं हल्का गिरदावर मय गठित टीम द्वारा मौके पर मौका एवं शीट का मिलान कर खातेदार प्रार्थीगण/सायलान एवं पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में मौके पर नक्शा शीट में अंकित मुस्तिक बिन्दूओं से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 1455/1181 व 1457/1182 का सीमाज्ञान कर खातेदारों को अवगत कराया गया और मौके पर ही फर्द मौका तैयार की गयी जिस पर उपस्थित सभी लोगो ने हस्ताक्षर किये किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ और ना ही पडौसी खातेदारों ने ऐतराज किया।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात के पडौसीयान खातेदारान को सीमाज्ञान व पत्थरगढी से सम्बन्धित कोई ऐतराज नहीं है, और इन खेतों के खातेदारान अपनी भूमि को जरिये इकरारनामा विभिन्न लोगो को आवास हेतु विक्रय कर चुके है। भूमि महवा रोड एवं मण्डावरा रोड के मध्य लगवा है। जो बेशकीमती है, जिस पर अप्रार्थीगण 1 व 2 की नियत में वदयांति आ गई है और वे अनावश्यक रूप से बिना किसी अधिकार के व रिकॉर्ड के प्रार्थीगण की भूमि के कुछ हिस्से को हडपना चाहते है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खसरा नम्बर 1179 में बसे हुये है, और प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के महवा रोड की तरफ प्रार्थीगण की भूमि में पत्थरगढी व सीमाज्ञान करने का विरोध करते है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई लेना देना नही है। और ना ही ये खसरा नम्बर 1179 के खातेदार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि बांका दिनांक 29.12.2022 समय सुबह 8 बजे का है कि प्रार्थीगण/सायलान कराये गये सीमाज्ञान के मुताबिक चिन्हित सीमाओं में डोल मेड कर पत्थर गढी करने लगा तो इतने में अप्रार्थी सं. 1 व 2 व अपने हमराहियों को साथ लेकर एक राय होकर हाथों में लाठी डंडा व फावडा लेकर प्रार्थीगण के खेत में आ धमके और आते ही प्रार्थीगण की डोल मेड को फेलाने लगे एवं पत्थरों को फेंकने लगे तो सायलान/प्रार्थीगण ने मना किया कि भाईयो डोल मेडो को मत फेलाओ और ना ही पत्थरो को उखाडो हम तो हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा किये गये सीमा चिन्हो पर होकर ही डोल मेड कर पत्थर गढी कर रहे हैं तो इस बात से गैरसायल एकदम लात ताते हो गये और सायलान के साथ झगडा करने पर आमादा हुये। हाय हल्ला सुनकर काफी लोग एकत्रित हो गये जिन्होने गैरसायलान को काफी समझाया कि तुम्हारे सामने उक्त भूमि का सीमा ज्ञान हो गया है विवाद क्यों करते हो परन्तु गैरसायलान एंव उनके हमराही अजखुद मानने को तैयार नहीं हुये बल्कि ऐलानिया धमकी दीनी कि हम हमारी तरफ तुम्हारे खेत खेत खसरा नं. 1455/1181, 1457/1182 की ओर पुख्ता डोलमेड व पत्थर गढी नहीं करने देंगे, क्योंकि उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर हम जबरन कब्जा करके ही रहेगें हम कोई डोल–मेढ व सीमाज्ञान के आदेश को नहीं मानते है, हमारे बांसकोट में दम है, हम तुम्हें यहां से भगा कर तुम्हारी कुछ भूमि पर हम कब्जा करके ही रहेंगें, एसडीओ कोर्ट के स्टे आदेश को भी हम नही मानते है ऐसे आदेश तो हवा में उड़ते ही रहते है। और ना ही हम हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि गैरसायलान अपने नापाक इरादे में कामयाब हो गय तो सायलान को काफी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य से हानो सम्भव नहीं है, इसलिये प्रार्थीगण/सायलान को उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि अगले दिन सायलान ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार हिण्डौन को सीमाज्ञान द्वारा किये गये सीमा चिन्हो पर पत्थर गढ़ी किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया तो श्रीमान सीलदार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र यह कहते हुये लौटा दिया कि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करो।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 29.12. 2022 को गैर सायलान द्वारा सायलान को सीमाज्ञान द्वारा किये गये सीमा चिन्हो पर होकर पत्थर गढी व डोलमेड नहीं करने देने के कारण एवं अगले दिन तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र लौटाये जाने के कारण बमुकाम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन में उत्पन्न हुआ है। जो श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार उत्पन्न हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत निश्चित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायलान के खेत खसरा नं. 1455/1181 रकवा 10 ऐयर 1457/1182 रकवा 08 ऐयर बाकै ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन में मुताबिक मौका फर्द सीमा ज्ञान द्वारा किये गये सीमा चिन्हो पर होकर पत्थर गढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें जिसकी एक तहरीर पालना हेतु गैरसायल तहसीलदार हिण्डौन को जारी हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तबल किया गया। दिनांक 06.02.2024 को अप्रार्थी सं01 व 2 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता 2, फोटो प्रति नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति नकल नक्शा शीट, फोटो प्रति तहसीलदार हिण्डौन का पत्रांक न्याय /304 दिनांक 05.06.2015, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन प्रकरण स0 312/2022 उनवानी चन्द्रप्रकाश वगैराह बनाम कैलाश चन्द वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2024 पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1455/1181 रकबा 0.10 है0, 1457/1182 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी चन्द्रप्रकाश पुत्र रामखिलाडी हि0 1/3 , रामखिलाडी पुत्र द्वारका प्रसाद हि0 1/3, सतीश चन्द पुत्र रामखिलाडी हि0 1/3, जातियान ब्राहम्ण निवासी नगला बृजलाल तहसील बयाना हाल सा0 हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1456/1181 रकबा 0.03 है0, 1458/1182 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी नगरपालिका हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन में अंकित है कि आज दिनांक 03.06.2022 को श्रीमान् तहसीलदार हिण्डौन के आदेश क्रमांक एलआर/2022/668 दिनांक 23.02.2022 की पालना में ग्राम क्यारदाखुर्द के आराजी खसरा नम्बर 1455/1181 रकबा 0.10 है0, 1457/1182 रकबा 0.08 है0 पर गठित टीम द्वारा मौके पर पहुँचा। मौके पर प्रार्थना पत्र आवेदक श्री रामखिलाडी शर्मा की उपस्थिति में उक्त खसरा नम्बर 1455/1181, 1457/1182 का सीमाज्ञान नक्शा सीट में अंकित मुस्तिक बिन्दूओं से जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया गया एवं आवेदक को सीमांकन समझाया गया। फर्द मौका मौके पर तैयार किया गया एवं पढकर सुनाया गया उपस्थित के हस्ताक्षर कराये गये। उक्त फर्द मौका पर गठित टीम के हस्ताक्षर तथा आवेदक रामखिलाडी शर्मा, सतीशचन्द शर्मा, चन्द्रप्रकाश शर्मा के हस्ताक्षर हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 1455/1181 रकबा 0.10 है0, 1457/1182 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1455/1181 रकबा 0.10 है0, 1457/1182 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन का विधिवत रूप से पुनः सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इसलिए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1455/1181 रकबा 0.10 है0, 1457/1182 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरीगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1455/1181 रकबा 0.10 है0, 1457/1182 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थ्रगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए प्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 24/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली